सीडीओएस्ट

106

संख्या– /XVIII(II)/2014–18(105)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 03 जून 2014

विषयः–जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत कर्णप्रयाग–नोटी–किरसाल मोटर मार्ग के कि0मी0 12 से ग्राम चौण्डली–सेरा–बजांण–सिलंगी–ल्वेटा–पाताल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.466 है0 सिविल सोयम भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3675/छब्बीस–18(2013–2014) दि0–27.3.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के अंतर्गत ग्राम सिलंगी की सीमान्तर्गत ख0खा0 सं0–5 के खसरा सं0–370 रकबा 0.024 है0 मध्ये 0.015 है0, 486 रकबा 0.035 है0 मध्ये 0.020 है0, 488 रकबा 0.185 मध्ये 0.005 है0, 507 रकबा 0.081 मध्ये 0.005 है0, 512 रकबा 0.019 मध्ये 0.016 है0, 526 रकबा 0.168 मध्ये 0.050 है0 कुल 0.512 है0 मध्ये **0.111 है0** एवं ग्राम चौण्डाली की सीमान्तर्गत ख0खा0 सं0–15 के खसरा सं0–141 रकबा 0.014 है0, 180 रकबा 0.014 मध्ये 0.010 है0, 186 रकबा 0.021 मध्ये 0.010 है0, 733 रकबा 0.023 है0, 766 रकबा 0.060 है0, 843 रकबा 0.201 मध्ये 0.050 है0, 844 रकबा 0.009 है0, 882 रकबा 0.100 मध्ये 0.040 है0, 1004 रकबा 0.009 है0, 1071 रकबा 0.095 मध्ये 0.050 है0, 1196 रकबा 0.114 मध्ये 0.030 है0, कुल 0.660 मध्ये **0.305 है0** भूमि जो कि नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ख0खा0 सं0–21 के खसरा सं0–739 रकबा **0.050 है0** भूमि जो कि नॉन जेड0ए0 श्रेणी 10(2) अकृषिक उपयोग के रूप में दर्ज अभिलेख है। इस प्रकार कुल **0.466 है0** भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–02–02 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

DY-1053/dt-11/08/14

........2

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 9 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर क़ार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 1051/समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।